राज्य सूचना आयोग

अपील कमांक–ए–37 / रासूआ. / 10–13 / बीपीएल / 05–06 /

श्री के0सी0श्रीवास्तव,एफ–11,
मीनाल कॉम्पलेक्स, II 2
27,गोविंद गार्डन,भोपाल । अपीलकर्ता

विरूद्ध

श्री मनोहर चेलानी,संयुक्त सचिव, लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय–अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी,
भोपाल

आदेश दिनांक 14 मार्च, 2006

श्री के.सी.श्रीवास्तव ने यह अपील मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा सूचना न प्रदान किए जाने के संबंध में सूचना का अधिकार (अधिनियम) की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता के अनुसार उन्होंने दिनांक 18 नवंबर, 2005 को एक आवेदन कंपनी के सहायक सूचना अधिकारी को अपने पुत्र की स्थानांतरण संबंधी फाईल का निरीक्षण करने एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिया था । इस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । निर्धारित तीस दिन की अवधि में कोई कार्यवाही न होने के कारण अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दिनांक 30 दिसंबर 2005 को कपंनी के समक्ष प्रस्तुत की । इस अपील पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया इससे असुंष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2. इस प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी एवं कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । लोक सूचना अधिकारी का यह कथन है कि अपीलकर्ता ने उनके पुत्र के स्थानांतरण संबंधी संपूर्ण पत्राचार, नोटशीट,दस्तावेजों संबंधी मूल फाईल का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन यिा था और इसी संबंध में अपील दिनांक 30 दिसंबर, 2005 को प्रस्तुत की थी । लेकिन अपीलकर्ता के द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें इसलिए प्रदान नहीं की गई है कि यह जानकारी वैयक्तिक है और उसे देने के लिए अपीलीय अधिकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के अंतर्गत बाध्य नहीं है । इस संबंध में लिखित आदेश दिनांक 3 मार्च ,2006 को पारित किया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलकर्ता को भी दी गई है । प्रथम अपील में जो आदेश पारित किया गया है,उसकी प्रति भी भेजी गई है । उन्होंने अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के अंतर्गत सूचना नहीं देने का जो निर्णय लिया गया है,उससे वह सहमत है । अपीलीय अधिकारी ने अपील

के साथ राज्य सूचना आयोग में वह सभी कागजातों की फोटोप्रति भेजी है और यह निवेदन किया है कि उनको देखने के बाद यदि राज्य सूचना आयोग यह निर्णय देता है कि वृहद लोकहित में उन्हें प्रकट करना आवश्यक है तो इसका पालन कंपनी के द्वारा किया जावेगा ।

3. इस विषय में अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 13 मार्च,2006 को सुना गया । अधिनियम की धारा 8 (1) (j) में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी नागरिक को ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है और जिसके प्रकटीकरण से किसी लोक गतिविधि या लोकहित का संबंध नहीं है या जो व्यक्तिगत गोपनीयता,एकान्तता पर अनपेक्षित आक्रमण करते हैं,उसे देने के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है । अपीलकर्ता को इस विषय पर सुना गया कि इस सूचना का किस प्रकार के किसी लोक गतिविधि या लोकहित से संबंध है और यदि है तो उसे स्पष्ट करें जिससे कि आयोग इस सूचना देने के संबंध में विचार कर सके । स्पष्टतः यह सूचना श्री प्रशांत श्रीवास्तव की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है और यद्यपि वह उनके पुत्र हैं,तब भी इसका लोक गतिविधि या लोकहित से संबंध नहीं दिखाई देता है ।

4. अपीलकर्ता ने अपने मौखिक अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि उनके पुत्र श्री प्रशांत श्रीवास्तव का स्थानांतरण कल्याण सहायक (वेलफेयर अस्सिटेंट) के पद पर भोपाल से ग्वालियर किया गया है । ग्वालियर में केवल एक ही पद कल्याण सहायक का है जिसमें कोई व्यक्ति पूर्व से ही कार्यरत है । इस प्रकार से एक और व्यक्ति की पदस्थापना करने से अनावश्यक व्यय होता है और इसका संबंध लोक हित से है इसलिए यह जानकारी देना आवश्यक है । कंपनी के लोक सूचना अधिकारी श्री चेलानी ने यह बताया है कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के पुनर्गठन के उपरांत बहुत से पदों का हस्तान्तरण कंपनी में किया गया है और उनके साथ अधिकारियों की भी पदस्थापना की गई है । इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आवंटन में कंपनी के अंतर्गत उपलब्ध पदों को ध्यान में नहीं रखा गया है । इस स्थिति को सुधारने और सुदृढ़ करने के लिए कंपनी ने एक कन्सलटेंट की नियुक्ति की है जो उपलब्ध पदों और हस्तांतरित किए हुए कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में विचार करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । जब तक यह पुनर्गठन नही हो जाता है तब तक कंपनी के स्तर में पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखना ही आवश्यक है । कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक उपलब्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उपयोग जहां आवश्यक है,वहां पर करने के लिए सक्षम हैं और इस दृष्टि से इसका संबंध लोक गतिविधि या लोक हित से नहीं है ।

5. अपीलकर्ता एवं कंपनी की ओर से उपस्थित लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए है, उन पर विचार किया गया । स्पष्टतः अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है, वह उनके पुत्र श्री प्रशांत श्रीवास्तव से संबंधित है और इसका संबंध निजी हित से है,इसका संबंध किसी भी प्रकार से किसी लोक गतिविधि या लोक

हित से नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि इसका प्रकटीकरण किसी लोकहित से संनिद्ध है । अतः अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी इस जानकारी को देने के लिए बाध्य नहीं है,अतः अपीलकर्ता की यह अपील अस्वीकार की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त